न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 95 सन् 2016
पंजीयन दिनांक 31.03.2016

लक्ष्मीलाल पिता नारायण मुत्तबन्ना भगवाना जाति अहीर निवासी मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट

विरूद्व

1. उदी बाई बेवा भगवाना जाति अहीर निवासी मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
2. नारायण पिता सवा जाति अहीर निवासी मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
3. किशन पिता सवा जाति अहीर निवासी मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
4. रामी बेवा सवा जाति अहीर निवासी मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
5. सरकार जरिये तहसीलदार डूंगला तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, डूंगला
प्रकरण संख्या 55/2011 निर्णय एंव डिक्री दिनांक 28.10.2015

उपस्थित– 1. सुरेन्द्र कुमार ओझा –अधिवक्ता अपीलान्ट
2. चन्दनमल जणवा– रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 5

निर्णय **दिनांक 08.03.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र घोषणा बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मौजा मंगलवाड तहसील डूंगला के खाता सं. 348 मे दर्ज आराजी नम्बर 1422, 1423, 1424, 1425, 1426/1, 1426/2, 1427, 1430, 1766, 1767,1773 कुल किता 11 कुल रकबा 4.88 हैक्टेयर के सम्बन्ध मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह भूमि भगवाना पिता दल्ला व सवा पिता दल्ला के शामलाती खातेदारी मे थी। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया के पति का 1/2 हिस्सा था। वादिया के पति का स्वर्गवास हो चुका है। जिनके वारिस उसकी

बेवा रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया व पुत्री गंगा है जिनका संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा है। गंगा ने अपना हिस्सा अपनी माता रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया के हक मे हकत्याग कर दिया है जिससे कुलिया आराजीयात मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया का 1/2 हिस्सा है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया के कथनानुसार ग्राम पंचायत मंगलवाड मे अपीलान्ट प्रतिवादी को गोदी पुत्र बताते हुए उसके हक मे नामान्तकरण खुलवा लिया है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया विवादित आराजीयात मे अपने नाम की घोषणात्मक डिक्री करा बंटवाडा कराने की अधिकारिणी है। इसी क्रम मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने मौके पर बंटवाडा कर रखा है। परन्तु रेकार्ड मे कोई बंटवाडा नही हुआ है। प्रतिवादीगण ने पंचायत से सांठगांठ कर गलत इंतकाल खुलवा लिया है। इस इन्द्राज को दुरस्त कर कृषि आराजीयात का बंटवाडा कराया जावे। अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 ने रेस्पोडेन्ट वादिया का वाद का जवाब प्रस्तुत किया। तथा उसमे यह उल्लेखित किया कि दिनांक 30.01.2006 को भगवाना की मृत्यु हुई। भगवाना ने ही अपने जीवनकाल मे ही अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 को जाति–रिवाज रश्मो के अनुसार अपनी पत्नि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया व पुत्री गंगा की सहमति से गोद लिया था और भगवाना के जीवनकाल मे ही भगवाना की सम्पत्ति पर अपीलान्ट अपनी गोद माता उदी के साथ काबिज होकर उनकी कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। अपीलान्ट प्रतिवादी ने भगवाना की पगडी बांधी थी, इसलिये रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया का यह कथन कि गोद नही लिया मानने योग्य नही है। इसी प्रकार एक दावा अपीलान्ट प्रतिवादी ने भगवाना के दत्तक पुत्र की घोषणा बाबत् सक्षम दिवानी न्यायालय अपर जिला एवं सेंशन न्यायाधीश निम्बाहेडा के समक्ष भी प्रस्तुत कर रखा है जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया व गंगाबाई भी पक्षकार है। इसलिये जब तक सक्षम न्यायालय से गोदी पुत्र की घोषणा का निर्णय न हो जाये तब तक रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद चलने योग्य नही है।

उक्त आशय का प्रति वादपत्र अपीलान्ट प्रतिवादी की ओर से अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत होने के बाद अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 26.08.2015 को प्रतिवादी अपीलान्ट के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया। व दिनांक 28.10.2015 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया का शपथ पत्र लेकर एक पक्षीय आदेश पारित कर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया का वाद पत्र बंटवाडे के बाबत् प्राथमिक डिक्री कर दिया। व उसके पश्चात् रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151,152 जा0दी0 दिनांक 12.12.15 को प्रस्तुत कर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश को संशोधित कर दिया।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 ने इस न्यायालय मे दिनांक 31.03.2016 को प्रथम अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से इस न्यायालय मे अपील मय प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम के साथ प्रस्तुत

होने पर इस न्यायालय द्वारा अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बगैर निर्णय पारित किया है। जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया अपने वादपत्र मे कथन लेकर आई थी कि उसने अपीलान्ट को गोद नही रखा तथा अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 व उसके परिजनो ने मिलकर गलत इंतकाल खुलवाया। उक्त तथ्य को अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर पूर्ण रूप से इंकार कर दिया। फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर बगैर तनकी कायम किये रेस्पोडेन्ट वादिया का दावा प्राथमिक डिक्री किया है। दावे के वक्त रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया विवादित भूमि की खातेदार नही थी। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को सिर्फ दायरी दावे की स्थिति पर ही विचार करना था परन्तु अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने वादिया रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने घोषणात्मक डिक्री की दाद नही चाही सिर्फ बंटवाडे व स्थायी निषेधाज्ञा के सम्बन्ध मे दावा निर्णित करवाया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने दावा घोषणात्मक डिक्री के संदर्भ मे था और जिस नामान्तकरण की नकल का हवाला अधीनस्थ विचारण न्यायालय के फर्द अहकाम दिनांक 25.10.2015 मे दिया हुआ है के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्ड़ल मे अपील विचाराधीन है। राजस्व मण्ड़ल अजमेर द्वारा उक्त नामान्तकरण की अपील के निर्णय के विरूद्ध स्थगन दे रखा है। उक्त तथ्यो को छुपाकर स्थगन आदेश को नही मानते हुए घोषणा की दाद को छोडकर बंटवाडे व स्थायी निषेधाज्ञा की दाद दिये जाने का तथ्य अंकित किया है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने वाद पत्र प्रस्तुत किया जिसका दिनांक 06.12.2012 को प्रतिवादी सं. 1 अपीलान्ट ने जवाबदावा अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया। जवाबदावा पेश होने के बाद दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय को तनकियात कायम करनी थी। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने जवाबदावा प्रस्तुत होने के बाद कोई तनकियात कायम नही की व एक पक्षीय कार्यवाही कर दावा प्राथमिक डिक्री किया है। जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री स्वीकार किये जाने योग्य है। अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने एक पक्षीय कार्यवाही कर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया के पक्ष मे प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 12.12.2015 को हुई। उसके पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति ली जाकर बिना किसी विलम्ब के अपील मे हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत है। जिससे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. की अपील अन्दर म्याद मानते हुए निर्णय पारित कराया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने प्रतिवादीगण अपीलान्ट के विरूद्ध घोषणा बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा के सम्बन्ध मे वादपत्र प्रस्तुत किया। जो अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया। अधीनस्थ विद्धवान न्यायालय मे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 2 ने जवाबदावा मय विशेष कथन दिनांक 16.05.2012 को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् उक्त पत्रावली वास्ते तनकियात नियत की गई। व अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट प्रतिवादी सं.1 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर उक्त प्रकरण मे साक्ष्य लिवाई जाकर वादपत्र प्रमाणित होने से डिक्री किया गया है। जो विधिपूर्ण होने से अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत अपील जो म्याद बाहर प्रस्तुत की गई व निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 5 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2015 को विधिपूर्ण होना बताते हुए अपीलान्ट की अपील जो म्याद प्रस्तुत की गई। प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम को निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की विधिपूर्ण बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट स. 1 वादिया ने अपीलान्ट व अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 ने जवाबदावा मय विशेष कथन प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने दावा जवाबदावा के अनुसार तनकियात कायम की जाकर साक्ष्य मे नियत किया गया। प्रकरण वास्ते साक्ष्य विचाराधीन था। व दिनांक 26.08.2015 को अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर दिनांक 09.09.2015 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया का शपथ पत्र साक्ष्य स्वरूप रेकार्ड पर लिया गया व दिनांक 16.09.2015 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया की पुत्री गंगाबाई का शपथ पत्र लिया जाकर पत्रावली वास्ते अंतिम बहस नियत कर दी गई। व दिनांक 28.10.2015 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने घोषणा की दाद विड्रो करने का निवेदन किया। जिससे घोषणा की दाद विड्रो की जाकर बिना घोषणा के रेस्पोडेन्ट स. 1 वादिया का 1/2 हिस्सा होना मानते हुए बंटवाडे की प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.12.2015 को पारित की गई। व उसी अनुसार दिनांक 28.10.2015 को संशोधित डिक्री पारित की गई। राजस्व रेकार्ड के अनुसार भगवाना पिता दल्ला अहीर विवादित आराजीयात मे 1/2 का खातेदार दर्ज रेकार्ड है। व सहखातेदार भगवाना का खातेदार होने से नामान्तकरण सं. 2881 विरासत दिनांक 28.03.2006 से सहखातेदार भगवाना के बजाय लक्ष्मीलाल

मुत्तबन्ना भगवाना व उदी बेवा भगवाना दर्ज हुआ है। ऐसी स्थिति बिना घोषणा कराये वादिया रेस्पोडेन्ट सं. 1 का 1/2 का बंटवाडा कराने की अधिकारिणी नही होते हुए अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने दिनांक 28.10.2015 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है। जो न्यायोचित व संहवनीय नही होने से अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी डूंगला के प्रकरण संख्या 55/2011 प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 28.10.2015 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की साक्ष्य सबुत लिवाई जाकर आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 की पालना करते हुए अजरसे तनकीवार नव निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 08.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लोटायी जावे।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ